16.7.21 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी उप०। वकील वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के आधार पर है। जिसके बाबत न्यायालय राजस्व का कोई क्षेत्राधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ये साबित करने में असमर्थ रहे कि इस दावे के आधार पर चाहा गया अनुतोष न्यायालय राजस्व के क्षेत्राधिकार का ~~नहीं~~ है। इसलिए हस्तगत वाद पत्र को क्षेत्राधिकार से बाहर होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर होवे नियमानुसार [illegible] तकमील होवे नं. से कम हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 18:18:15 IST
Reason: SelfAttested